सॅख्या-157/78-1-2015-165आईटी/2014

प्रेषक,

जी0एस0 नवीन कुमार,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष
उत्तर प्रदेश शासन।

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनु0-1 लखनऊः दिनांकः 16 फरवरी, 2015

विषयः उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2014 के प्रस्तर 4-4 (पेटेन्ट्स फाइलिंग हेतु प्रोत्साहन) के अन्तर्गत इकाईयों को प्रोत्साहन हेतु प्रक्रिया का निर्धारण।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश और देश के समग्र आर्थिक विकास के लिए उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण उद्योग को प्रोत्साहित एवं विकसित कर उत्तर प्रदेश को एक वैश्विक प्रतिस्पर्धी, उद्योग मित्रवत इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण एवं व्यावसायिक वातावरण का निर्माण किये जाने, राज्य में इलेक्ट्रानिक्स मैन्यूफैक्चरिंग क्लस्टर्स (EMCs) की स्थापना, राज्य में इलेक्ट्रिानिक्स विनिर्माण के क्षेत्र में अधिकतम निवेश को आकर्षित करने तथा राज्य में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने एवं प्रादेशिक सकल घरेलू उत्पादन (जी0डी0पी0) में वृद्धि के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2014 प्रख्यापित की गई है।

2- उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2014 के अध्याय-4 में, राज्य में स्थापित हो रहे इलेक्ट्रानिक मैन्युफैक्चरिंग क्लसटर्स तथा इन ईमसी में एकल ई0एस0डी0एम0 इकाइयों की स्थापना को परिलक्षित करते हुए 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाली अवधि हेतु विभिन्न प्रोत्साहन प्रस्तावित किये गये हैं। ये प्रोत्साहन

प्रथम 3 इलेक्ट्रानिक मैन्युफैक्चरिंग क्लसटर्स को अनुमन्य होंगे, जिसे पुनः उक्त नीति के अन्तर्गत गठित सशक्त समिति के नियमानुसार स्थापित होने वाले अन्य इलेक्ट्रानिक मैन्युफैक्चरिंग क्लसटर्स के लिए विस्तारित किया जा सकता है:-

3- उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2014 के प्रस्तर 4.4 में पेटेन्ट्स फाइलिंग हेतु प्रोत्साहन प्रदान किये जाने की निम्न प्रकार व्यवस्था की गई है:-

4.4 पेटेन्ट्स फाइलिं हेतु प्रोत्साहन

MSME इकाईयों में ही शोध एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए घरेलू पेटेन्ट्स हेतु रु 1,00,000 तथा अन्तर्राष्ट्रीय पेटेन्ट्स हेतु रु 5,00,000 की सीमा सहित, वास्तविक फाइलिंग लागत के 50 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।

4- उपरोक्त हेतु पात्र इकाइयों को पेटेन्ट्स फाइलिंग हेतु प्रोत्साहन प्रदान किये जाने की कार्यवाही निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन की जायेगी--

1 पेटेन्ट्स फाइलिंग हेतु प्रोत्साहन के लिए पात्रता

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2014 के प्रस्तर 4.4 के अन्तर्गत प्रोत्साहन प्राप्त किये जाने हेतु निम्न मानकों को पूर्ण करने वाली इकाइयां पात्र होंगी:-
आवेदक इकाई सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग मंत्रालय तथा भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार एम0एस0एम0ई0 उद्योग की परिभाषा में आती हो।

2 पेटेन्ट्स फाइलिंग हेतु प्रोत्साहन की अवधि

यह प्रोत्साहन शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाली अवधि के अन्दर पेटेन्ट्स फाइलिंग करने वाली इकाइयों को अनुमन्य होगा।

3 आच्छादन

सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश

4 परिभाषायें

4.1 (a) "नई इकाई" का तात्पर्य ई0एस0डी0एम0 उद्योग से सम्बन्धित ऐसी पूर्ण स्वामित्व वाली (Proprietorship) कम्पनियों, समितियों, साझेदारी आदि नई इकाइयों

से है जिनके द्वारा शासनादेश जारी होने की तिथि से 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाली अवधि के भीतर पूंजी निवेश कर व्यवसायिक कार्यकलाप प्रारम्भ कर दिये गये हों।

4.1 (b) "वर्तमान इकाई" का तात्पर्य ई0एस0डी0एम0 उद्योग से सम्बन्धित ऐसी पूर्ण स्वामित्व वाली (Proprietorship) कम्पनियों, समितियों, साझेदारी आदि वर्तमान इकाइयों से है जिनके द्वारा शासनादेश जारी होने की तिथि से 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाली अवधि के भीतर 03 वर्षों में विद्यमान क्षमता के 25 प्रतिशत या अधिक क्षमता विस्तार हेतु अतिरिक्त अतिरिक्त पूंजी निवेश कर विस्तारित क्षमता सहित, व्यवसायिक कार्यकलाप प्रारम्भ कर दिये गये हों।

4.2 "कम्पनी" से तात्पर्य ई0एस0डी0एम0 उद्योग से सम्बन्धित ऐसी कम्पनी से है, जिसका गठन कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत किया गया हो।

4.3 "सोसायटी" से तात्पर्य ई0एस0डी0एम0 उद्योग से सम्बन्धित ऐसी सोसायटी से है, जिसका गठन सोसायटीज अधिनियम 1980 के अन्तर्गत किया गया हो।

4.4 "पार्टनरशिप" से तात्पर्य ऐसी साझेदारी फर्म से है जिसका गठन भारतीय साझेदारी अधिनियम-1932 के अन्तर्गत किया गया हो।

4.5 "वित्तीय संस्थान" से तात्पर्य भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित समस्त बैंकों तथा ऐसे सभी वित्तीय संस्थानों से है, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित हैं और जिनका नियमन उसके द्वारा किया जाता है।

4.6 "वर्ष का तात्पर्य दिनांक 01 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि से है।

4.7 "ई0एस0डी0एम0 उद्योग" का तात्पर्य इलेक्ट्रानिक्स सिस्टम डिजाइन एवं मैन्युफैक्चरिंग उद्योग है जिसके अन्तर्गत निम्नवत मुख्य घटक सम्मिलित हैं, किन्तु यहीं तक सीमित नहीं है:-

<u>इलेक्ट्रानिक्स उत्पाद</u>

क मोबाइल उपकरण: मोबाइल हैण्डसेट।

ख दूरसँचार उपकरण: माडेम, राइटर्स, स्विचेज इत्यादि।

ग उपभोक्ता इलेक्ट्रानिक्स: टीवी, डीवीडी प्लेयर्स, डिजिटल कैमरे, सेट टॉप बॉक्सेज इत्यादि।

घ आटोमोबाइल इलेक्ट्रानिक्सः विद्युत वाहन, पावर विन्डो इत्यादि।

च औद्योगिक इलेक्ट्रानिक्सः पावर इलेक्ट्रानिक्स, एल.ई.डी. लाईटिंग, सीएफएल, एनर्जी मीटर इत्यादि।

छ सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली एवं हार्डवेयरः डेस्कटॉप, नोटबुक, टैबलेट, मॉनीटर्स मेमोरी कार्ड इत्यादि।

ज अन्य इलेक्ट्रानिक्सः एयरोस्पेस, रक्षा उपकरण सहित सामरिक उपकरण।

इलेक्ट्रानिक कम्पोनेन्ट्स

अ एक्टिव कम्पोनेन्ट्सः ट्रॉजिस्टर्स, डॉयोड्स तथा सी.आर.टी।

ब पैसिव कम्पोनेन्ट्सः रेजिस्टर्स तथा कैपेसिटर्स।

स इलेक्ट्रोमेकेनिकल कम्पोनेन्ट्सः पीसीबी, पावर डिवाइसेज, रिले इत्यादि।

सेमीकन्डक्टर डिजाइन

अ एम्बेडेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेण्ट।

ब वीएलएसआई डिजाइन।

स हार्डवेयर/बोर्ड डिजाइन।

4.8 "इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज (ई.एम.एस.)" का तात्पर्य मूल उपकरण निर्माताओं (ओ.ई.एम.) के लिए इलेक्ट्रानिक कम्पोनेन्ट्स तथा असेम्बलीज की डिजाइनिंग, टेस्टिंग, निर्माण, वितरण एवं अनुरक्षण के कार्य से ।

उक्त के अतिरिक्त अन्य ई.एम.एस. जो उपर्युक्त में सम्मिलित नहीं हैं, भी इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेवाओं में सम्मिलित की जा सकेंगी।

4.9 "इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लसटर्स (ई.एम.सी)" ई.एम.सी. विनिर्माण क्षेत्र (Manufacturing Zone) के सदृश ही होंगे जो इलेक्ट्रानिक्स सिस्टम्स डिजाइन तथा विनिर्माण (ई.एस.डी.एम.) क्षेत्र के संवर्धन को बढ़ावा देंगे। ये क्लसटर्स उपभोक्ता इलेक्ट्रानिक्स, विद्युतीकरण, पावर इलेक्ट्रानिक्स, कम्प्यूटर/सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार एवँ इसी प्रकार के अन्य विभिन्न उपकरणों उनकी पूरी श्रॅखला के लिए इलेक्ट्रानिक कम्पोनेन्ट्स, पार्ट्स, सब-असेम्बलीज, सामग्री के विनिर्माण हेतु लघु एवं मध्यम स्तरीय उद्यमों की स्थापना की सुगमता हेतु हैं।

4.10 "फैब इकाई" वह सेमीकण्डक्टर संरचना सँयंत्र है, जहां इण्टीग्रेटेड सर्किट्स (ICs) चिप जैसी सामग्री निर्मित होती है।

4.11 "व्यावसायिक कार्यकलाप प्रारम्भ की तिथि" का तात्पर्य चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट से प्रमाणित, नये स्थायी पूंजी निवेश के माध्यम से निर्मित वस्तुओं एवं सेवाओं (Goods and Services) की बिक्री की प्रथम तिथि से है।

4.12 एम.एस.एम.ई.- सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग मॅत्रालय तथा भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (Micro, Small and Medium Enterpries) -

- सूक्ष्म उद्योग- वह उद्योग जिसमें मशीनों एवं उपकरणों पर पूंजी निवेश 25 लाख रूपये से अधिक न हो।
- लघु उद्योग- वह उद्योग जिसमें मशीनों एवं उपकरणों पर पूंजी निवेश 25 लाख रूपये से अधिक किन्तु रू 5 करोड़ से अधिक न हो।
- मध्यम उद्योग- वह उद्योग जिसमें मशीनों एवं उपकरणों पर पूंजी निवेश 5 करोड़ रूपये से अधिक किन्तु रू 10 करोड़ से अधिक न हो।
- वृहद उद्योग- वह उद्योग जिसमें मशीनों एवं उपकरणों पर पूंजी निवेश 10 करोड़ रूपये से अधिक किन्तु रू 50 करोड़ से अधिक न हो।

4.13 नीति कार्यान्वयन इकाई (पी0आई0यू0) का तात्पर्य इलेक्ट्रानिक मिशन निदेशालय के अधीनस्थ नीति कार्यान्वयन इकाई से है।

5 पेटेन्ट्स फाइलिंग हेतु प्रोत्साहन का विवरण -

5.1 यह प्रोत्साहन शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाली अवधि के अन्दर पेटेन्ट्स फाइलिंग करने वाली इकाइयों को अनुमन्य होगा।

5.2 यह प्रोत्साहन सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग मंत्रालय तथा भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार एम.एस.एम.ई. उद्योग की परिभाषा में आने वाली इकाई को ही अनुमन्य होगा।

5.3 पात्र इकाइयों को यह प्रोत्साहन प्रदान किये जाने हेतु संस्तुति के लिए इलेक्ट्रानिक्स मिशन निदेशालय के अधीनस्थ नीति कार्यान्वयन इकाई (पी.आई.यू.), नोडल एजेन्सी होगी।

5.4 इस प्रोत्साहन के अन्तर्गत वास्तविक फाइलिंग लागत के 50 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी, जिसकी सीमा घरेलू पेटेन्ट्स हेतु रू 1,00,000/- तथा अन्तर्राष्ट्रीय पेटेन्ट्स हेतु रू 5,00,000/- होगी।

5.5 इस योजना का लाभ उन्हीं इकाइयों को अनुमन्य होगा जिन्होंने राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के अन्तर्गत इस प्रकार की छूट या अनुदान का लाभ न लिया हो।

6 <u>पेटेन्ट्स फाइलिंग हेतु प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया</u>

6.1 यह प्रोत्साहन पात्र इकाईयों को केस-टू-केस आधार पर परीक्षण उपरान्त प्रदान किया जायेगा। पात्र इकाई द्वारा पेटेन्ट्स हेतु सम्बन्धित संस्था को आवेदन करने और उसके लिए पेटेन्ट्स फांइलिंग शुल्क जमा कर दिये जाने के सम्बन्ध में इकाई द्वारा नोडल एजेन्सी को सूचित किया जायेगा।

6.2 पेटेन्ट्स फाइलिंग हेतु प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए इकाई द्वारा आवेदन पत्र नोडल एजेन्सी के निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जायेगा। आवेदन-पत्र के साथ निम्न अभिलेख संलग्न किये जाने आवश्यक हैं:-

6.2.1 पेटेन्ट कार्यालय द्वारा प्रदत्त पेटेन्ट पंजीयन प्रमाण-पत्र की प्रति।

6.2.2 स्वच्छ सूचकों (labels) के साथ विशिष्टियों (specifications)/विन्यास (drawings)/चित्र (designs)।

6.2.3 ISO/ISI प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति (यदि हो तो)।

6.2.4 पेटेन्ट पंजीयन पर हुए व्यय का विस्तृत विवरण (इन्वॉयस और रसीदों की सत्यापित प्रति सहित) ।

6.2.5 संयंत्र एवं मशीनों पर निवेश के प्रमाण-स्वरूप चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट का प्रमाण-पत्र।

6.2.6 आवेदक इकाई के स्वामी/साझेदार/प्रबन्ध निदेशक/निदेशक का शपथ-पत्र।

6.2.7 आवेदक द्वारा उत्तर प्रदेश विनिर्माण नीति-2014 के अन्तर्गत प्राप्त किये गये प्रोत्साहन/ छूट का अद्यतन विवरण चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के प्रमाण-पत्र सहित।

6.3 आवेदन-पत्र का प्रोसेसिंग शुल्क, यदि कोई देय हो, इकाई द्वारा वहन किया जायेगा तथा आवेदन प्रस्तुति के समय जमा किया जायेगा।

7 <u>प्रोत्साहन की स्वीकृति की प्रक्रिया</u>

7.1 नोडल एजेन्सी द्वारा, इकाई द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों का परीक्षण किया जायेगा। यह कार्यवाही यथा-सम्भव आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि से एक माह के अन्दर पूर्ण कर ली जायेगी।

7.2 इकाई द्वारा आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों में दी गयी सूचना अपूर्ण होने की स्थिति में नोडल एजेन्सी द्वारा इकाई से स्थिति स्पष्ट करायी जा सकती है अथवा अतिरिक्त सूचनाओं/विवरण की मांग की जा सकती है। नोडल एजेन्सी द्वारा मांगे गये स्पष्टीकरण व अतिरिक्त अभिलेखों आदि को इकाई द्वारा नोडल एजेन्सी द्वारा निर्धारित अवधि के अन्दर प्रस्तुत करना होगा।

7.3 इकाई द्वारा प्रस्तुत आवेदन के परीक्षण/सत्यापन के उपरान्त इकाई को पेटेन्ट्स फाइलिंग प्रोत्साहन अनुमन्य कराने के सम्बन्ध में नोडल एजेन्सी की संस्तुति पर सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के विचारार्थ प्रेषित की जायेगी।

7.4 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नोडल एजेन्सी से प्राप्त संस्तुति पर विचारोपरान्त निर्णय लिया जायेगा और तद्विषयक उपयुक्त आदेश निर्गत किया जायेगा।

8 <u>पात्र इकाई के दायित्व</u>

पेटेन्ट्स फाइलिंग हेतु प्रोत्साहन की प्राप्ति के लिए पात्र इकाई द्वारा उन सभी अनुबन्धों तथा अभिलेखों को निष्पादित किया जायेगा जो नोडल एजेन्सी के मतानुसार आवश्यक हो। वह सभी सूचनायें नोडल एजेन्सी को उपलब्ध कराई जायेगी, जो उनके द्वारा अपेक्षा की जाये।

9 <u>न्यायालय का क्षेत्राधिकार</u>

किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में प्राधिकृत संस्थाओं के मुख्यालय पर स्थित न्यायालयों में ही वाद दायर किया जा सकेगा।

10 **व्यय भार**

पेटेन्ट्स फाइलिंग हेतु प्रोत्साहन की प्राप्ति हेतु सभी प्रासंगिक व्यय, पात्र इकाई के द्वारा देय होगा।

11 **समस्याओं का समाधान तथा योजना का अनुश्रवण**

इस योजना के किसी बिन्दु पर शंका निवारण अथवा समस्या समाधान हेतु आदेश आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा जारी किया जायेगा। इस योजना के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र अस्वीकृति के विरुद्ध प्रत्यावेदन पर सुनवाई प्रमुख सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग की अध्यक्षता में गठित एक समिति करेगी, जिसमें निम्न सदस्य होंगे:-

(क) प्रमुख सचिव, वित्त द्वारा नामित नोडल अधिकारी जो विशेष सचिव से निम्न स्तर का न हो।

(ख) प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग द्वारा नामित नोडल अधिकारी जो विशेष सचिव से निम्न स्तर का न हो।

(ग) निदेशक, इलेक्ट्रानिक्स मिशन निदेशालय

12 **इकाई को दी गई पेटेन्ट्स फाइलिंग प्रोत्साहन के निरस्तीकरण हेतु मानदण्ड**

इकाई द्वारा प्राप्त किये गये लाभों के उपरान्त यदि किसी समय यह पाया जाता है कि इकाई द्वारा दी गयी सूचनायें गलत हैं, अथवा तथ्यों को छुपाकर गलत आंकड़ों/अभिलेखों के आधार पर प्रोत्साहन प्राप्त किया गया है तो वितरित प्रोत्साहन की धनराशि 15 प्रतिशत ब्याज सहित प्राप्त की जायेगी तथा धनराशि भुगतान न करने पर यह धनराशि भू-राजस्व बकाये के रूप में वसूल की जायेगी, साथ ही इकाई के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लायी जायेगी।

संलग्नकः यथोपरि।

आज्ञा से,

(जी०एस० नवीन कुमार)

विशेष सचिव।

सँख्या-157/78-1-2015 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1 निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

2 अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त उ0प्र0।

3 कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।

4 प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग,उ0प्र0 शासन।

5 प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

6 प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन, उ0प्र0 शासन।

7 कार्यकारी निदेशक, उद्योब बन्धु, लखनऊ।

8 निदेशक, उद्योग कानपुर निदेशालय, कानपुर।

9 निजी सचिव, प्रमुख सचिव/विशेष सचिव(पी/एन), आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स, उ0प्र0 शासन।

10 प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी/यूपी डेस्को लखनऊ।

11 गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(हरीराम)
अनु सचिव।

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति–2014 के अन्तर्गत प्रोत्साहन के लिए आवरण–पत्र
(कम्पनी के लेटर पैड पर)

सेवा में,

नोडल एजेन्सी

....

....

विषयः उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति–2014 के अन्तर्गत प्रोत्साहन की मॉग

महोदय,

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति–2014 और तत्सम्बन्धी शासनादेशों के परीक्षणॉपरान्त हम, अधोहस्ताक्षरी, एतद्द्वारा अपना आवेदन–पत्र (अनुलग्नक–अ) सलग्न करते हुए उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति–2014 में वर्णित प्रोत्साहन प्रदान किये जाने की मॉग करते हैं।

हम पुष्टि करते हैं कि विभाग को प्रस्तुत किये जा रहे अनुलग्नकों, वित्तीय प्रलेखों, घोषणाओं, प्रमाणन, प्रदर्शों एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ–साथ आवेदन–पत्र अथवा उसके किसी भाग में निहित सभी सूचनायें सत्य, सही एवं परिपूर्ण हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इसमें निहित कथन किसी महत्वपूर्ण तथ्य के प्रति विभाग को पूर्णतः अथवा अंशतः भ्रमित नहीं करते, इस आवेदन में समस्त आवश्यक सूचनायें समाविष्ट हैं।

हम एतद्द्वारा पुष्टि करते हैं कि हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, इसके पूर्व दी गई सूचनायें और अन्य संलग्न पत्रादि सभी प्रकार से सत्य और सही हैं। हम वचनबद्ध हैं कि राज्य सरकार की अन्य किसी योजना के अन्तर्गत आवेदक द्वारा इस प्रकार के अन्तर्गत प्रोत्साहन की मांग न तो पहले की गई है और न ही प्राप्त किया गया है। हम पुनः यथा आवश्यकता, विवरणों को अभिलेखीय साक्ष्य द्वारा प्रमाणित करने का वचन देते हैं।

हम सहमत हैं कि हमारे आवेदन को बिना कोई कारण बताये निरस्त करने का आपके विवेकाधीन पूर्णाधिकार है।

हम एतद्द्वारा पुष्टि करते हैं कि हमें अपने निगम/कम्पनी/फर्म/संगठन की ओर से कार्यवाही करने तथा इस दस्तावेज एवं ऐसे अन्य दस्तावेजों को, जोकि इस सम्बन्ध में आवश्यक हो, को हस्ताक्षरित करने का अधिकार है।

स्थानः
तिथिः

स्वामी/ साझेदार/प्रबन्ध निदेशक/निदेशक के हस्ताक्षर
एवं मुहर

उत्तर प्रदेश की इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति–2014 के अन्तर्गत पेटेन्ट्स फाइलिंग शुल्क प्रोत्साहन की प्राप्ति हेतु आवेदन–पत्र का प्रारूप

1	इकाई का विवरण				
(क)	नाम				
(ख)	प्रबन्ध निदेशक / प्रबन्धन साझीदार / स्वामी / मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नाम				
(ग)	इकाई का पता				
(घ)	दूरभाष नं0				
(च)	सम्पर्क किये जाने वाले व्यक्ति का मोबाइल नँ0				
(छ)	फैक्स नँ0				
(ज)	ई–मेल				
(झ)	वेबसाइट				
(ट)	पंजीयन प्रमाण–पत्र संख्या				
(ठ)	सर्विस टैक्स पॅजीयन सं0				
(ड)	परमानेन्ट एकाउण्ट सं0 (PAN)				
(ढ)	संगठन का संविधान	स्वामित्व वाली	☐	साझेदारी	☐
		प्राइवेट लिमिटेड	☐	सहकारी	☐
		सार्वजनिक	☐	समिति	☐
(त)	कर्मचारियों की संख्या				
(थ)	व्यवसाय प्रारम्भ की तिथि				
(द)	उत्पाद / निर्मित उत्पाद				
2	पूँजी निवेश (रूपये लाख में)				
(क)	संयन्त्र एवं मशीनें				
(ख)	भूमि–भवन				
	योग				
3	पिछले तीन वर्षो में उत्पादन (रू लाख में)				
(क)					
(ख)					
(ग)					
4	पिछले तीन वर्षो में निर्यात (रू लाख में)				
(क)					
(ख)					
(ग)					
5	पेटेन्ट पॅजीयन का विवरण				
(क)	आविष्कार की संज्ञा				
(ख)	आविष्कार के सम्बन्ध में संक्षिप्त टिप्पणी				
(ग)	आविष्कार का कार्य–क्षेत्र / व्यापकता /				

	विषय—क्षेत्र	
(घ)	पेटेन्ट पँजीयन हेतु आवेदन की तिथि	
(च)	पेटेन्ट पंजीयन प्रदान करने वाली संस्था का नाम, पता व दूरभाष सं / ई–मेल	
(छ)	पेटेन्ट पंजीयन क्रमॉक एवं पेटेन्ट प्रदान किये जाने की तिथि	
(ज्ञ)	आविष्कार के लाभ	
(झ)	पेटेन्ट पंजीयन की कुल लागत	
(ट)	योजना के अन्तर्गत आवेदित प्रोत्साहन राशि	
6	आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले अभिलेख	
(क)	पेटेन्ट कार्यालय द्वारा प्रदत्त पेटेन्ट पंजीयन प्रमाण–पत्र की प्रति	
(ख)	स्वच्छ सूचकों (labels) के साथ विशिष्टियॉं (specifications) / विन्यास (drawings) / चित्र (designs)	
(ग)	ISO/ISI प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रति (यदि हों तो)	
(घ)	पेटेन्ट पंजीयन पर हुए व्यय का विस्तृत विवरण (इनवॉयस और रसीदों की सत्यापित प्रति सहित) (अनुलग्नक–अ प्रारूप पर)	
(च)	संयंत्र एवं मशीनों पर निवेश के प्रमाण– स्वरूप चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट का प्रमाण–पत्र (मूल रूप में अनुलग्नक–ब प्रारूप पर)	
(छ)	आवेदक इकाई के स्वामी / साझेदार / प्रबन्ध निदेशक / निदेशक का शपथ–पत्र (मूल रूप में अनुलग्नक–स प्रारूप पर)	

		प्रोत्साहन / छूट की प्रकृति	तिथि	धनराशि
(ट)	आवेदक द्वारा उत्तर प्रदेश विनिर्माण नीति–2014 के अन्तर्गत प्राप्त किये गये प्रोत्साहन / छूट का अद्यतन विवरण			

स्थान:
तिथि:

स्वामी / साझेदार / प्रबन्ध निदेशक / निदेशक के हस्ताक्षर
एवं मुहर

अनुलग्नक–अ

पेटेन्ट पंजीयन पर हुए व्यय का विस्तृत विवरण

आवेदक – सर्वश्री .... के पॅजीकृत कार्यालय .... तथा फैक्ट्री ....पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं अभिलेखों के अनुसार आवेदक द्वारा उसके आविष्कार के लिए प्रमाणन–अभिकरण/संस्था से पेटेन्ट पॅजीयन प्रमाण–पत्र की प्राप्ति के सम्बन्ध में कुल धनराशि रू .... (रूपये ....) मात्र का व्यय हुआ है। उक्त व्ययों का मदवार विवरण निम्नवत् है:–

कम सं0	व्यय का विवरण	प्रमाणन–अभिकरण/संस्था	धनराशि (रू)*	अभ्युक्ति
1	पेटेन्ट कार्यालय शुल्क आवेदन शुल्क (भारत/ विदेश) प्रायर आर्ट सर्च शुल्क परीक्षा हेतु अनुरोध शुल्क वार्षिक शुल्क			
2	अटार्नी ड्राफ्टिंग शुल्क			
3	परामर्श शुल्क			
		योग		

स्थान:
तिथि:

स्वामी/ साझेदार/प्रबन्ध निदेशक/निदेशक के हस्ताक्षर एवं मुहर

* पेटेन्ट पंजीयन से सम्बन्धित व्ययों के उक्त विवरण इनवॉयस और रसीदों की सत्यापित प्रति से समर्थित होने आवश्यक हैं।

अनुलग्नक–ब

सेंयन्त्र एवं मशीनों पर निवेश के सम्बन्ध में चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट का प्रमाण–पत्र
(चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के लेटर हेड पर)

संख्याः दिनॉक :

<u>जिससे भी सम्बन्धित हो</u>

एतदद्वारा सत्यापित किया जाता है कि सर्वश्री .... के पॅजीकृत कार्यालय .... तथा फैक्ट्री ....पर उपलब्ध लेखा पुस्तकों के अनुसार, पेटेन्ट्स फाइलिंग शुल्क प्रोत्साहन की प्राप्ति हेतु आवेदन प्रस्तुति के दिनॉक अर्थात् उससे पिछली 31 मार्च की तिथि को सेंयन्त्र एवं मशीनों पर (उनके मूल क्रय–मूल्य के अनुसार) कुल निवेश रू .... (रूपये ....) था।

स्थानः
तिथिः हस्ताक्षर एवं मुहर

शपथ–पत्र

मैं ....(नाम) आयु लगभग .. वर्ष पुत्र श्री .... निवासी .... – शपथी एतद्द्वारा स–शपथ निम्नवत् बयान करता हूँ:–

1 यह कि शपथी सर्वश्री .... (नाम) जिसका पँजीकृत कार्यालय ....(पता) एवँ फैक्ट्री .... (पता) पर है, का स्वामी/साझेदार/प्रबन्ध निदेशक/निदेशक/आविष्कारक* है।

2 यह कि सर्वश्री .... द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार की इलेक्ट्रानिक्स निर्माण नीति–2014 में विहित व्यवस्थानुसार, पेटेन्ट्स फाइलिंग शुल्क प्रोत्साहन की प्राप्ति हेतु आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

3 यह कि भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय की परिभाषा के अन्तर्गत आवेदक फर्म/कम्पनी/प्रतिष्ठान* – सर्वश्री .... एक पूरक/सूक्ष्म/लघु*उद्यम है तथा पेटेन्ट कार्यालय द्वारा पेटेन्ट संख्या.................. दिनॉक..... .... प्रदान किये जाते समय कार्यरत/उत्पादनरत* थी तथा फर्म/कम्पनी/प्रतिष्ठान* निरन्तर कार्यरत/उत्पादनरत* रही है।

4 यह कि आवेदक फर्म/कम्पनी/प्रतिष्ठान* के पँजीकृत कार्यालय तथा फैक्ट्री पर उपलब्ध लेखा पुस्तकों के अनुसार, पेटेन्ट्स फाइलिंग शुल्क प्रोत्साहन की प्राप्ति हेतु आवेदन प्रस्तुति के दिनॉक अर्थात् उससे पिछली 31 मार्च की तिथि को सॅयन्त्र एवं मशीनों पर (उनके मूल क्रय–मूल्य के अनुसार) कुल निवेश रू .... (रूपये ....) था जिसके सम्बन्ध में चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा प्रदत्त मूल प्रमाण–पत्र संख्या .... दिनॉक ....आवेदन–पत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है।

5 यह कि आवेदक फर्म/कम्पनी/प्रतिष्ठान* द्वारा केन्द्र सरकार/प्रदेश सरकार/वित्तीय संस्थान आदि* की किसी भी योजना के अन्तर्गत पेटेन्ट्स फाइलिंग शुल्क प्रोत्साहन/अनुदान/उपादान/प्रतिपूर्ति* प्राप्त नहीं की गई है।

अथवा

5 यह कि आवेदक फर्म/कम्पनी/प्रतिष्ठान* द्वारा केन्द सरकार/प्रदेश सरकार/वित्तीय संस्थान* को पेटेन्ट्स फाइलिंग शुल्क प्रोत्साहन/अनुदान/उपादान/प्रतिपूर्ति* के लिए दावा किया गया था और रू .... (रूपये ....) ....(बैंक) के चेक/ड्राफ्ट/आर.टी.जी.एस. के माध्यम से पेटेन्ट्स फाइलिंग शुल्क प्रोत्साहन/अनुदान/उपादान/प्रतिपूर्ति* के रूप में प्राप्त किया गया है।

अथवा

5 यह कि आवेदक फर्म/कम्पनी/प्रतिष्ठान* द्वारा केन्द्र सरकार/प्रदेश सरकार/वित्तीय संस्थान* के समक्ष पेटेन्ट्स फाइलिंग शुल्क प्रोत्साहन/अनुदान/उपादान/ प्रतिपूर्ति* के लिए पूर्व में कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अथवा

5 यह कि आवेदक फर्म/कम्पनी/प्रतिष्ठान* द्वारा केन्द्र सरकार/प्रदेश सरकार/वित्तीय संस्थान* के समक्ष आवेदन–पत्र दिनॉक द्वारा .... पेटेन्ट्स फाइलिंग शुल्क प्रोत्साहन/अनुदान/ उपादान/प्रतिपूर्ति* के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

6 यह कि यदि आवेदक फर्म/कम्पनी/प्रतिष्ठान* को कोई पेटेन्ट्स फाइलिंग शुल्क प्रोत्साहन/अनुदान/उपादान/प्रतिपूर्ति प्राप्त होती है तो इस तथ्य की उदघोषणा मैं आवेदक फर्म/कम्पनी/प्रतिष्ठान* की ओर से केन्द्र सरकार/प्रदेश सरकार/वित्तीय संस्थान* इत्यादि द्वारा संचालित इसी प्रकार की किसी अन्य योजना के अन्तर्गत प्रोत्साहन/अनुदान/उपादान/प्रतिपूर्ति का दावा करते समय करुँगा।

7 यह कि शपथी स्वयं तथा आवेदक फर्म/कम्पनी/प्रतिष्ठान* की ओर से वचन देता है कि उपरोक्त उदघोषणा गलत अथवा असत्य अथवा भ्रामक पाये जाने की स्थिति में उपरोक्त उल्लिखित कार्यकलाप के लिए प्राप्त की गई पूर्ण धनराशि का भुगतान लिखित मॉग किये जाने से सात दिनों के अन्दर कर देगा एवं ऐसा कर पाने में असफल रहने पर शासन को अधिकार होगा कि वह प्रोत्साहन राशि की वसूली 15 प्रतिशत ब्याज सहित भू–राजस्व की भॉति कर ले।

स्थान
तिथि शपथी

सत्यापन

मैं शपथी उपरोक्त एतद्द्वारा सत्यापित करता हूँ कि इस शपथ–पत्र की धारा 1 लगायत 5 में निहित कथ्य मेरे निजी ज्ञान से सत्य व सही हैं तथा धारा 6 व 7 में निहित कथ्य के सत्य होने का शपथी को विश्वास है।

आज दिनॉक ....को ....(स्थान) पर अपने हस्ताक्षर बनाकर सत्यापित किया

स्थान
तिथि शपथी

टिप्पणी * जो लागू न हो उसे काट दें।

(शपथ–पत्र रू 20/– के स्टैम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित होना चाहिए)